



समाहरणालय, अररिया

(उत्पाद प्रशाखा)

दूरभाष सं० :06453-222001(का०)

06453-222102 (आ०)

फैक्स सं० :06453-222124

E- mail :dmararia.bih@nic.in

पत्रांक...../30

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
अररिया ।

सेवा में,

निदेशक ,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
बिहार, पटना ।

अररिया , दिनांक

विषय :- बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत अधिहरित वाहनों की नीलामी में भाग लेने हेतु आम सूचना के प्रकाशन के संबंध में ।

महाशय ,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत अधिहरित वाहनों की सार्वजनिक रूप से खुली नीलामी में भाग लेने हेतु आम सूचना की प्रति (हार्ड कॉपी तीन प्रति में एवं साफ्ट कॉपी सीडी0 में) इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है ।

अनुरोध है कि इसे सभी दैनिक समाचार पत्रों अथवा कम-से-कम तीन प्रमुख समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशित करने की कृपा की जाए ।

अनुलग्नक- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

जिला पदाधिकारी,
अररिया

ज्ञापंक 232...../30

दिनांक 07/06/18

प्रतिलिपि :- आई.टी० मैनेजर, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेशित किया जाता है कि इसे जिला के वेबसाईट पर प्रमुखता से लाल रंग के हेडिंग में इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे कि ये आसानी से दृष्टिगत हो सके ।

प्रतिलिपि :- सभी प्रमुख विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेशित किया जाता है कि इस आम सूचना का अपने कार्यालय में संधारित नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित कराएगे ।

प्रतिलिपि :- सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिला पदाधिकारी,
अररिया

समाहरणालय, अररिया
(बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत अधिहरित वाहनों की सार्वजनिक नीलामी)

-: वाहन नीलामी हेतु आम सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य पूर्ण शराब बंदी के उपरान्त शराब को ढोने में प्रयुक्त वाहन को समाहर्ता सह जिला दण्डाधिकारी, अररिया के द्वारा अधिनियम में विहित प्रावधानों के अधीन अधिहरित किया गया है, जिसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री किया जाना राजहित में आवश्यक है। तद् आलोक में निम्नलिखित वाहन/वाहनों की नीलामी " जहां है, जैसा है, उसी स्वरूप में " के आधार पर अधोहस्ताक्षरी/प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा दिनांक 25.06.2018 (सोमवार) को पूर्वाह्न 11 बजे डी0आर0डी0ए0 सभा भवन अररिया में की जायेगी।

नीलामी हेतु वाहन का विवरण :-

क्र0सं0	राज्यसात वाहन का निबंधन संख्या	समाहर्ता न्यायालय के वाद संख्या	राज्यसात वाहन का प्रकार	राज्यसात वाहन का न्यूनतम निर्धारित मूल्य	वाहन भंडारण स्थल	अग्रधन की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	को004प.-8075	04/2017-18	मोटरसाईकिल	10000.00	उत्पाद मालखाना अररिया	2000.00
2	BR38A-9480	30/2016-17	मोटरसाईकिल	7000.00	फुलकाहा थाना	1400.00
3	BR38H-1645	46/2016-17	मोटरसाईकिल	25000.00	जोकीहाट महलगांव थाना	5000.00
4	BR11H-7846	49/2016-17	मोटरसाईकिल	11000.00	जोकीहाट महलगांव थाना	2200.00
5	BR11PA-4884	76/2017-18	टैम्पू	75000.00	ताराबाड़ी थाना	15000.00
6	BR38C-5065 TVS Scort	41/2016-17	मोटरसाईकिल	7000.00	फारबिसगंज थाना	1400.00
7	BR38B-1304	51/2016-17	मोटरसाईकिल	6000.00	फारबिसगंज थाना	1200.00
8	BR38K-1294	38/2017-18	मोटरसाईकिल	26000.00	नरपतगंज थाना	5200.00
9	BR50A-3700	70/2017-18	मोटरसाईकिल	8000.00	नरपतगंज (धुरना) थाना	1600.00
10	BR38E-0736	34/2016-17	मोटरसाईकिल	9000.00	उत्पाद मालखाना अररिया	1800.00
11	BR39N-1471	42/2016-17	मोटरसाईकिल	21000.00	फारबिसगंज थाना	4200.00
12	BR38G-3310	92/2017-18	ट्रैक्टर	270000.00	फारबिसगंज थाना	54000.00
13	BR11S-1268	105/2017-18	पीकअप भान	180000.00	फारबिसगंज थाना	36000.00
14	BR37F-3038	109/2017-18	ओमनी सुजुकी	135000.00	अररिया थाना	27000.00
15	BR0PG-4203	109/2017-18	सुमो गोल्ड	105000.00	अररिया थाना	21000.00

निलामी हेतु नियम एवं शर्तें :-

1. इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर निलामी में भाग ले सकते हैं ।
2. उपरोक्त विवरणी के स्तंभ 5 में अंकित राशि को वाहन को सुरक्षित मूल्य माना गया है । सुरक्षित मूल्य से कम की बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी ।
3. वाहनों की निलामी की प्रक्रिया बारी-बारी से होगी, अर्थात् 01 वाहन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ही दूसरे वाहन की निलामी की जायेगी ।
4. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अनुलग्नक "ए" में अंकित घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर कर जमा करना होगा ।
5. निलामी में भाग लेने हेतु वाहन के सुरक्षित मूल्य का 20 प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप में जमा करने के पश्चात् ही निलामी में भाग ले सकते हैं ।

अनुलग्नक "ए" में भरा हुआ घोषण पत्र एवं अग्रधन जमा करने की अंतिम तिथि, 24.06.2018 को संध्या 5.00 बजे तक होगी, जिसे अधीक्षक उत्पाद, कार्यालय अररिया में जमा किया जायेगा ।

6. एक से अधिक वाहन के लिए बोली लगाने की स्थिति में प्रति वाहन अलग-अलग अग्रधन जमा करना होगा । अग्रधन बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक के रूप जिला पदाधिकारी अररिया के नाम से अथवा नगद जमा करना होगा जिसे निलामी की प्रक्रिया समाप्त होने पर वापस कर दिया जायेगा ।
7. निलामी की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक के स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
8. निलामी के दौरान उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को उसी समय बोली की राशि एक ही किस्त में जमा करनी होगी ।
9. उच्चतम बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति द्वारा राशि एक मुस्त जमा करने में विफल होने की स्थिति में उनके अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी । इसके निर्णय हेतु निलामी कर्ता का निर्णय अंतिम होगा ।
10. यह माना जायेगा कि भाग लेने वाले व्यक्ति के द्वारा निलामी से पहले वाहन का पूर्ण निरीक्षण कर लिया गया है । वाहन सौंप देने के उपरान्त निलामीकर्ता वाहन संबंधी किसी भी प्रकार के दोष अथवा शिकायत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।
11. निलामी की प्रक्रिया में समाहरणालय अथवा इस से संलग्न कार्यालय/इसके अधिन किसी भी कार्यालय के सरकारी कर्मी/पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय अथवा इस से संलग्न थाना/ कार्यालय के कर्मी/ पदाधिकारी एवं सरकारी कर्मी भाग नहीं लेंगे ।
12. सफल बोली दाता को अपने प्रयोजन के लिए वाहन प्राप्त कर लेने पर नियमों के अनुसार अपनी लागत और जिम्मेदारी पर अपने नाम पर वाहन को स्थानांतरित कराना होगा । निलामी कर्ता वाहनों के पंजीकरण के लिए किसी भी तरह से संबंधित या जिम्मेदार नहीं होगा, और सफल व्यक्ति को वाहन सौंपने के उपरान्त इसका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
13. अपने विवेक से बिना कारण बताये किसी भी समय निलामी की प्रक्रिया रोकने/ किसी वाहन अथवा सम्पूर्ण वाहन की बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का निर्णय निलामी कर्ता सुरक्षित रखता है, तथा यह निर्णय अंतिम होगा ।
14. इसकी विस्तृत घोषणा पत्र प्रपत्र जानकारी जिला के वेबसाईड araria.bih.nic.in पर देखा जा सकता है । कार्य दिवस में वाहन के अवलोकन वाहन भंडारण स्थल के संबंध में अथवा निलामी से संबंधित अन्य जानकारी हेतु उत्पाद, कार्यालय अररिया से सम्पर्क किया जा सकता है ।

समाहर्ता सह-जिला दण्डाधिकारी
अररिया